Journal of Science and Research Innovations

Volume - 2, Issue - 2, Dec 2024, ISSN: 2583-9004 (ONLINE)

विधिक शिक्षा का अधिकार :एक विश्लेषात्मक अध्ययन

(साझात्कार पर आधारित अध्ययन)

राजेश कुमार शुक्ला

विधि विभाग, अ.प्र.सिंह वि.वि. रीवा (म.प्र.)

सारांश :–

वर्तमान समय में जहां विष्व के अधिकतर राष्ट्र कल्याणकारी राज्य की भूमिका का निर्वहन करनें का प्रयास कर रहें है, वही राज्य के नागरिक भी अपने अधिकार व कर्त्तव्य के प्रति सजग हो रहें है, परंतु राज्य द्वारा प्रसारित विभिन्न विधियों की जानकारी नागरिकों का नहीं हो पाती है, साथ ही विधि की शब्दावली भी अपेक्षाकृत विधि की भावना समझनें में नागरिको को कठिनाई की अनुभूति कराती है, अतः यदि विधिक षिक्षा प्रणाली में संषोधन कर इसे संवैधानिक अधिकार व अनिवार्य षिक्षा नीति के अर्न्तगत शामिल किया जाय तो प्रत्येक राज्य सामाजिक चेतना व विधि के प्रति जागरूक नागरिकों को तैयार कर सकता है, जिससे समाज मे विधि व्यवस्था व सभी प्रकार के मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त होगा तथा राष्ट्र का सर्वांगीण विकास का प्रयास सफल होगा।

शब्दकुंजी – विधिक षिक्षा अधिकार, राष्ट्र, संविधान, संवैधानिक अधिकार, भारतीय विधिज्ञ परिषद

परिचय–

प्रत्येक राष्ट्र के नागरिकों के संबंध में यह अवधारणा की जाती है की उन्हे अपने राष्ट्र में प्रसारित विधियों के संबंध में बुनियादी जानकारी है। विधियों के संबंध में जानकारी प्रदान करने के लिए, कल्याणकारी राज्य विभिन्न प्रयास करते हैं जैसे संगोष्ठी, ट्रेनिंग, विज्ञापन, नाटक, नुक्कड़–नाटक, पेंटिंग प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित करना इत्यादि। विधिक शिक्षित होना प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है, विधिक शिक्षा का अर्थ व्यक्ति को विधिक कर्तव्य व विधिक अधिकार के संबंध ज्ञान प्रदान करना है। वर्तमान समय में समाज प्राकृतिक विधि से सिविल विधि की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसके कारण समाज व राष्ट्र में कई प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो रही। जहां राज्य का स्वरूप एक कल्याणकारी राज्य के रूप में विकसित हो रह है और राज्य सभीप्रकार के मुद्दोको शांतिपूर्णतरीके से निपटाने का प्रयास करता है,

Volume - 2, Issue - 2, Dec 2024, ISSN: 2583-9004 (ONLINE)

वहीं दूसरी ओर सामाजिक चेतना रखने वाले नागरिकों को भी तैयार कर रहा है, ऐसे में नागरिकों का राष्ट्र की विधियों के प्रति जागरूक होना आवश्यक होता है।

प्राचीन भारत में विधि की कोई औपचारिक षिक्षा का प्रचलन नहीं था विधि को धर्म का एक रूप माना जाता था। जिसके अन्तर्गत वेद, वेदांग, श्रुति, भाष्य, उपनिषद इत्यादि के अन्तर्गत नैतिक, राजनैतिक, अर्थषास्त्र, समाजषास्त्र इत्यादि का अध्ययन कराया जाता था। जहां व्यक्ति के कर्तव्यों पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता था प्रत्येक व्यक्ति कों नैतिक या धार्मिक कर्तव्यों का पालन करना आवष्यक था, विधि का मुख्य स्रोत वेद थे जिन्हे ईष्वर का आदेष माना जाता था। मध्यकालीन मुस्लिम शासन काल में मुगलों ने औपचारिकन्यायालयों की प्रक्रिया का प्रारंभ किया, जो कुरान व हदीस पर आधारित थी। ''फिग–ए–फिरोज षाहाई'' व ''फतवा–ए–आलमगीरी'' इस काल की प्रमुख विधियां थी।

भारत में औपचारिक विधिक प्रणाली अंग्रेजों के द्वारा 1772 में प्रारंभ किया गया जिसकें अंतर्गत रेग्युलेटिंग एक्ट 1773, व 1781 का संषोधित एक्ट, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। सन् 1883 में भारत में विधि आयोंग की स्थापना के बाद भारत में विधिक विकास की यात्रा सुचारू रूप से प्रारंभ हो गयी तथा इसी तारतम्य में कई प्रकार की विधियों को संहिताबद्ध किया गया व विधिक षिक्षा हेतु कई विधि महाविद्यालयों व विष्वविद्यालयों की स्थापना की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पष्चात् अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में केन्द्र तथा राज्य में अलग–अलग विधिक षिक्षा प्रणाली को नियंत्रित करनें तथा उसकें संबंध में नियम, विनियम इत्यादि बनानें के लिए बार काउंसिल ऑफ इंण्डिया व स्टेटबार काउंसिलों की स्थापना की गई। वर्तमान समय में भारत में विधि षिक्षा हेतु 495 विष्वविद्यालयों सहित कुल 2024 विधि षिक्षण संस्थान संचालित है।

भारत में नागरिकों को विधिक षिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते है,जहां एक ओर विधि मे ंस्नातक डिग्री प्रदान करने हेतु तीन वर्षीय व पांचवर्षीय कोर्स विभिन्न महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों मे शुरू किए गए हैं, जो की विधि व्यावसायी तैयार करते है, वहीं भारत के प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में भी बुनियादी विधियों के महत्त्वपूर्ण प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है, हालाकि की इसके अंतर्गत संवैधानिक विधि, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के प्रमुख अंग,मूल अधिकार, मूल कर्तव्य इत्यादि का ही अध्ययन कराया जाता है।

शासन, प्रशासन, व्यापार, व्यावसाय तथा कृषि सभी क्षेत्रों में विधि की बुनियादी वास्तविक जानकारी होना जरूरी है न कि यह मान लेना कि सभी व्यक्तियों को विधि की जानकारी है। इसीलिए भारत के संविधान में भी विधिक षिक्षा के अधिकार को विभिन्न प्रावधानों में शामिल किया गया है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 व 39–क में विधिक षिक्षा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख कियागयाहै **मनुभाई प्रागजी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र**[1] में भारत के सर्वोच्च न्यायालय नें विधिक षिक्षा के अधिकार को मान्यता प्रदान किया गया इसी प्रकार हाल में ही में **एडवोकेटस फोरम फॉर सोषल जस्टिस बनाम तमिलनांडु राज्य**[2] के मामले में मद्रस उच्च न्यायालय ने भी माना है कि विधिक षिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत मूल अधिकार है। वर्तमान समय में भारत में विधिक षिक्षा की गुणवत्ता में काफी वृद्धि हुई है विधि स्नातक व विधि परास्नातक स्कालर विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर रहें है।

शोध विधि – शोध विषय की प्रकृति 'विधिक षिक्षा का अधिकार' 'भारत में विधिक षिक्षा के प्रति व्यक्तियों में जागरूकता से संबंधित है। जिसके लिये विस्तृत क्षेत्रीय सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध आकड़ों द्वारा ही सम्यक निष्कर्ष प्राप्त किये जा सकतें हैं। प्रस्तुत शोध कार्य जिसमें अध्ययन क्षेत्र का संबंध विधिक षिक्षा अधिकार से है, इसके इकाई के रूप में अवधेष प्रताप सिंह वि.वि. रीवा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न विधि महाविद्यालय, विधि विभाग व रीवा संभाग में विभिन्न न्यायालयों का दैव निदर्षन विधि का उपयोग करते हुये साक्षात्कार पूर्ण होगा, प्राप्त प्राथमिक आंकड़ों के उपयोग द्वारा ही पूर्ण किया गया है। साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों की शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक स्थिति अलग अलग है। प्राथमिक आंकड़ों के विष्लेषण से प्राप्त निष्कर्षो द्वारा विधिक षिक्षा के प्रति जागरूकता की प्रवृत्ति का निष्पादन किया गया है।

अध्ययन का क्षेत्र – अध्ययन की क्षेत्रीय इकाई अवधेष प्रताप सिंह वि.वि. रीवा के क्षेत्राधिकार के समस्त विधि महाविद्यालय, जहां कुल 25 महाविद्यालय में विधिक षिक्षा दी जा रहीं है, अधिकांष महाविद्यालय में एल–एल.बी. (त्री–वर्षीय पाठ्यक्रम) संचालित है, वही कुछ महाविद्यालय में बी.ए.एल–एल.बी. (पंचवर्षीय पाठ्यक्रम) भी संचालित है, रीवा संभाग के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येंक जिले व तहसील में न्यायालय कार्यरत है।

अध्ययन में साक्षात्कार हेतु शामिल व्यक्तियों का परिचय– विधिक षिक्षा अधिकार के संदर्भ में व्यक्तियों की जागरूकता की प्रवृत्ति की जानकारी प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार में सम्मिलित उत्तरदाताओं की कुल संख्या 100 है। जिनकी परिचयात्मक स्थिति अग्रानुसार है–

Journal of Science and Research Innovations

Volume - 2, Issue - 2, Dec 2024, ISSN: 2583-9004 (ONLINE)

विश्लेषण :—साक्षात्कार में शामिल सभी 100 व्यक्तियों की आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति निम्नानुसार है—

सारणी — 01

क्रमांक		उत्तरदाताओं की प्रस्थिति	संख्या	साक्षात्कार में शामिल व्यक्तियों की संख्या % में
1.	आर्थिक	उच्च आय वर्ग — 8 लाख या उससे अधिक	12	12
		मध्यम आय वर्ग — 3 लाख या उससे अधिक	28	28
		निम्न आय वर्ग — 3 लाख से कम	60	60
2.	शैक्षणिक	स्नातकोत्तर एवं उच्च षिक्षा वर्ग	17	17
		विधि स्नातक वर्ग	30	30
		स्नातक वर्ग	32	32
		स्कूल षिक्षा वर्ग	21	21

स्रोत— क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधरित वर्ष 2023—24

आर्थिक स्थिति — क्षेत्रीय सर्वेक्षण में जिन 100 व्यक्तियों को साक्षात्कार में शामिल किया गया उन उत्तरदाताओं में से 12 प्रतिषत उच्च आय वर्ग (जिनकी वार्षिक आय 8 लाख या उससे अधिक है), 28 प्रतिषत मध्यम आय वर्ग (जिनकी वार्षिक आय 3 लाख या उससे अधिक है), 60 प्रतिषत निम्न आय वर्ग (जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है) के पाये गये है।

शैक्षणिक स्थिति — क्षेत्रीय सर्वेक्षण में जिन 100 व्यक्तियों को साक्षात्कार में शामिल किया गया उन उत्तरदाताओं में से 17 प्रतिषत स्नातकोत्तर या उससे उच्च षिक्षित , 30 प्रतिषत विधि स्नातक , 32 प्रतिषत स्नातक एवं 21 प्रतिषत हायर सेकेण्डरी तक षिक्षित पाये गये है।

विधिक षिक्षा अधिकार के प्रति उत्तरदाताओं में जागरूकता की प्रवृत्ति— उत्तरदाताओं में विधिक षिक्षा के प्रति जागरूकता व वैचारिक दृष्टिकोण बिन्दुवार निम्नानुसार पाई गई—

सारणी – 02

क्र	जानकारी	अभिमत	संख्या	प्रतिषत
1	विधिक षिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है	हां	65	65
		नहीं	35	35
2	स्कूली षिक्षा के साथ मूलभूत विधि की षिक्षा दी जानी चाहिएं	हां	80	80
		नहीं	20	20
3	सभी व्यक्तियों को विधि की जानकारी होना आवष्यक है	हां	95	95
		नहीं	05	05
4	विधिक षिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21–क के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए	हां	44	44
		नहीं	56	56
5	भारत में विधिक षिक्षा प्रणाली अपेक्षाकृत महंगी व जटिल है	हां	70	70
		नहीं	30	30
6	भारतीय विधिज्ञ परिषद अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक ढंग से कर रहा है	हां	75	75
		नहीं	25	25
7	विधि महाविद्यालय भारतीय विधिज्ञ परिषद के सभी मानकों को पूर्ण करतें है	हां	81	81
		नहीं	19	19
8	वर्तमान साइबर क्रांति के दौर में विधिक षिक्षा दूरवर्ती, प्राईवेट या ऑनलाइन पद्धति में अब प्रासंगिक हैं	हां	85	85
		नहीं	15	15

स्रोत– साक्षात्कार द्वारा प्राप्त आंकड़ों के विष्लेषण पर आधारित

उपरोक्त सारणी 02 से स्पष्ट होतो है कि 100 उत्तरदाताओं में से 65 प्रतिषत मानते है कि विधिक षिक्षा का अधिकार संवैधानिक अधिकार है जबकि 35 प्रतिषत उत्तरदाताओं का मानना है कि संवैधानिक अधिकार नहीं है, 80 प्रतिषत उत्तरदाता मानते है कि स्कूली षिक्षा के साथ मूलभूत विधि की षिक्षा दी जानी चाहिएं जबकि 20 प्रतिषत उत्तरदाता इससे सहमत नहीं है, 95 प्रतिषत उत्तरदाताओं का मानना है कि सभी व्यक्तियों को विधि की जानकारी होना आवष्यक है जबकि 05 प्रतिषत उत्तरदाता इससे सहमत नहीं है, 44 प्रतिषत उत्तरदाताओं का मानना है कि विधिक षिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21–क के अन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए जबकि 56 प्रतिषत उत्तरदाता मानते है कि यह ठीक नहीं है, 70 प्रतिषत उत्तरदाता यह मानते है कि भारत में विधिक षिक्षा प्रणाली अपेक्षाकृत महंगी व जटिल है जबकि 30 प्रतिषत उत्तरदाता ऐंसा नहीं मानते, 75 प्रतिषत उत्तरदाता यह मानते है कि भारतीय विधिज्ञ परिषद अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक ढंग से कर रहा है जबकि 25 प्रतिषत उत्तरदाता ऐसा नही मानतें, 81 प्रतिषत उत्तरदाता यह मानते है कि विधि महाविद्यालय भारतीय विधिज्ञ परिषद के सभी मानकों को पूर्ण करतें है जबकि 19 प्रतिषत उत्तरदाता यह नहीं मानते है, 85

प्रतिषत उत्तरदाता यह मानते है कि वर्तमान साइबर क्रांति के दौर में विधिक षिक्षा दूरवर्ती, प्राईवेट या ऑनलाइन पद्धति में अब प्रासंगिक हैं जबकि 15 प्रतिषत उत्तरदाता इससे सहमत नहीं हैं।

निष्कर्ष – प्रष्नावली के आधार पर प्राप्त जानकारी का विष्लेषण करने में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते है–

1. शैक्षणिक योग्यता के अनुसार विधि के संबंध में जानकारी का स्तर बढ़ता जाता है।
2. लोग विधि की जानकारी का होना आवष्यक तों मानते है परन्तु विधिक षिक्षा के प्रति उदासीन है।
3. यदि विधिक षिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर दूरवर्ती, प्राईवेट व ऑनलाइन षिक्षा प्रणाली को भी मान्यता प्रदान की जाय तों अधिकतर लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकतें है।
4. राष्ट्र की मूलभूत विधि की जानकारी सभी जानकारी सभी नागरिको को हानी चाहिए।
5. विधिक षिक्षा प्राप्त करना दूसरे पाठ्यक्रमों से अपेक्षाकृत जटिल है।
6. भारतीय विधिज्ञ परिषद के मानकों का अधिकांषतः विधि महाविद्यालय अधिकतम मानको को पूर्ण करते है।

सुझाव –

1. विधिक षिक्षा का अधिकार भी मूल अधिकारों के अंन्तर्गत शामिल किया जाना चाहिए।
2. विधि का क्षेत्र वर्तमान में वकालत पेषे तक सीमित न होकर अत्यंत व्यापक हो गया है अतः विधिक षिक्षा प्रणाली में लचीलापन लाये जाने की आवष्यकता है ताकि अधिकतम लोग इसका लाभ प्राप्त कर सके।
3. विधि की षिक्षा को सभी के लिये अनिवार्य व आवष्यक होना चाहिए।

उपरोक्त सुझावों पर कार्यवाही कर राष्ट्र सामाजिक चेतना व विधि के प्रति जागरूक नागरिकों को तैयार कर सकता है, जिससे कानून समाज के सभी प्रकार के मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त होगा तथा राष्ट्र का सर्वांगीण विकास का प्रयास सफल होगा।

संदर्भ –

1. (1995) 5 एस.सी.सी. 730
2. (2016) मद्रास हाई कार्ट
3. डॉ. योगेन्द्र तिवारी, उम्र–38 वर्ष, पी.एच–डी. (विधि), प्राचार्य, शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा, अनुभव 10 वर्ष,
4. डॉ. रवीन्द्र तिवारी, उम्र–40 वर्ष, पी.एच–डी. (विधि), सहायक प्राध्यापक विधि, शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा, अनुभव 08 वर्ष,
5. डॉ. लोक नारायण मिश्रा, उम्र–38 वर्ष, पी.एच–डी. (विधि), सहायक प्राध्यापक विधि, शासकीय विधि महाविद्यालय रीवा अनुभव 09 वर्ष,
6. डॉ के. डी. तिवारी, उम्र–50 वर्ष, पी.एच–डी. (विधि), अधिवक्ता न्यायालय शहडोल, अनुभव 25 वर्ष,
7. डॉ. आलोक कुमार मिश्रा, उम्र–45 वर्ष, पी.एच–डी. (विधि), अधिवक्ता न्यायालय त्यौथर, अनुभव 25 वर्ष,
8. राकेश कुमार शुक्ल, उपखण्डीय पदाधिकारी राजस्व, सीधी, अनुभव 10 वर्ष
9. रमेष कुमार , उम्र . 45 वर्ष, हायर सकेण्डरी, मउगंज
10. जगदीष प्रसाद पाण्डेय, उम्र–48 वर्ष, बी.ए., व्यौहारी
11. प्रतीक्षा सिंह, उम्र–20 बी.ए.एल–एल.बी.(आनर्स) 6वां सेमेस्टर, रीवा
12- समीक्षा तिवारी उम्र–25 वर्ष, एल–एल.एम., सतना।